प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा दिनाँक 05.09.2022

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 379/22 धारा 147/148/149/302 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से आलाकत्ल 04 डण्डे (01 डण्डा रिंगदार चेन साकेट लगा हुआ) तथा घटना में प्रयुक्त 02 मोटरसाइकिल बरामद ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.09.2022 को थाना खेकड़ा पर वादी नदीम खान पुत्र फैजुद्दीन निवासी ग्राम विनयपुर थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दि कि उसके चाचा दाऊद अली पुत्र हाकिम अली उम्र करीब 50 वर्ष व उसके चचेरे भाई नईम खान, अमजद खान व पडौसी अकरम खान अपने घर के सामने गली में बैठे थे, तभी रात्रि समय करीब 22.00 बजे 07-08 मोटरसाईकिल पर सवार लगभग 20-22 अज्ञात लोग आये और अचानक से तमंचे से फायर करते हुए फर्सा व डंडो से इन लोगो पर हमला कर दिया, जिससे उसके चाचा दाऊद अली गंभीर रूप से घायल हो गये जिन्हें ईलाज हेतु फैमिली हेल्थ अस्पताल मेरठ ले गये जिनकी ईलाज के दौरान फैमिली हैल्थ अस्पताल मेरठ में मृत्यु हो गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 379/22 धारा 147/148/149/302 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 379/22 धारा 147/148/149/302 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से आलाकत्ल 04 डण्डे (एक डण्डा रिंगदार चेन साकेट लगा हुआ) 02 मोटरसाइकिल बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि ग्राम विनयपुर तथा भगौट के लड़को में तनाव था। विनयपुर के लडकों को सबक सिखाने के लिए भगौट में हमने इकट्ठे होकर यह निर्णय लिया कि विनयपुर में जो भी मिलेगा उसे पीटेंगे । हम लोग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर लाठी डण्डे व फरसा व तमन्चा लेकर रात्रि को लगभग 10 बजे विनयपुर गये । वहां एक मकान पर बैठे लोगों पर लाठी, डण्डो तथा फरसे से हमला कर दिया । जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रुप से घायल हो गया था । उसकी बाद में मृत्यु हो गयी ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

1- निक्की उर्फ विक्की पुत्र धीरु उर्फ धर्मेन्द्र निवासी भगौट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2- हरीश पुत्र विजयपाल निवासी भगौट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

3 दिलीप पुत्र बलवीर निवासी भगौट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

4- मोहित पुत्र महते निवासी भगौट थाना चाँदीनगर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- आलाकत्ल 04 डण्डे (एक डण्डा रिंगदार चेन साकेट लगा हुआ) ।
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस नं0 UP-17U-8239
- घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल TVS STAR SPORTS नं0 UP-17Q-0735

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री डीके त्यागी थाना खेकडा ।

2- उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह ।

3- उ0नि0 श्री कैलाशचन्द ।

4- का0 301 मुलायम सिंह ।

5- का0 335 राकेश कुमार ।

6- का0 427 अरुण भाटी।

7- का0 701 शोकेन्द्र।

प्रेस नोट

थाना बिनौली दिनाँक 05-09-2022

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान थाने के डी-66 गैंग के लीडर/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिंदा कारतूस बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान थाना बिनौली के डी-66 गैंग के लीडर/हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोटः- गिरफ्तार अभियुक्त विशाल पुत्र राजकुमार आपराधिक प्रवृत्ति का शातिर अपराधी है। जिसके विरूद्ध करीब 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है तथा थाना बिनौली के डी-66 गैंग का लीडर/हिस्ट्रीशीटर अपराधी है। थाना बिनौली पर इसके विरूद्ध हिस्ट्रीशीट नं0 986A दर्ज है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- विशाल पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम मुकीमपुरा थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 03 जिंदा कारतूस।

गिरफ्तार अभियुक्त विशाल का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 165/20 धारा 392/411 भादवि थाना चांदीनगर जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 114/20 धारा 352/354ग/506 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 268/20 धारा 379/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
4. मु0अ0सं0 237/20 धारा 392/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
5. मु0अ0सं0 270/20 धारा 307 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
6. मु0अ0सं0 271/20 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।
7. मु0अ0सं0 272/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।
8. मु0अ0सं0 276/20 धारा 414 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
9. मु0अ0सं0 324/2020 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।
10.मु0अ0सं0 264/20 धारा 394/411/414/504 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
11.निवारक सं0 167/21 धारा 3 UP गुण्डा एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।
12.मु0अ0सं0 235/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री दिग्विजय सिहं थाना बिनौली।
2-का0 195 मनोज शर्मा थाना बिनौली।
3-का0 648 अनित कुमार थाना बिनौली।
4-का0 988 निशान्त थाना बिनौली।
5-का0 1002 तरूण कुमार थाना बिनौली।

प्रेस नोट

थाना बडौत दिनाँक 05.09.2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 838/22 धारा 452/354/376/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 838/22 धारा 452/354/376/506 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पताः

1-रूपेन्द्र उर्फ भूरा पुत्र बिरम सिंह निवासी ग्राम आसिफपुर खडखडी थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री गवेन्द्रपाल सिह।

2-है0का0 422 राजन सिंह।

प्रेस नोट

थाना बडौत **दिनाँक - 05.09.2022**

थाना बडौत पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर तमन्चे के साथ फोटो वायरल के आरोपी को मय तमन्चे के किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक युवक का तमन्चे के साथ फोटो वायरल हुआ था । जिसमे संज्ञान लिया गया एवं युवक को चिन्हित किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा सोशल मीडियो पर तमंचे के साथ फोटो वायरल करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचनाः- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रयोग/प्रदर्शन न किया जाये। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरूद्व कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाऐगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-नौमान पुत्र फरमान निवासी ग्राम कोताना थाना बडौत जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- **एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।**

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री श्याम सिंह ।

2- हे0का0 348 ज्ञानेन्द्र पाल सिंह ।

3- का0 257 बलजीत सिंह ।

4- का0 893 राहुल शर्मा ।

प्रेस नोट

थाना छपरौली **दिनाँक 05.09.2022**

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 262/22 धारा 323/452/308/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.09.2022 को थाना छपरौली पर वादिया ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.अमित पुत्र सुरेन्द्र 2.जस्वीर पुत्र महीपाल 3.सागर पुत्र तेजवीर निवासीगण ग्राम सिलाना थाना छपरौली के द्वारा उसके लडके अंकित के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गई जिससे उसका लडका गंभीर रुप से घायल हो गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 262/22 धारा 323/452/308/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 262/22 धारा 323/452/308/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-अमित पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-जसवीर सिंह पुत्र महीपाल सिंह निवासी ग्राम सिलाना थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना छपरौली जनपद बागपत।

2-का0 976 लवकुश थाना छपरौली जनपद बागपत

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर **दिनाँक 05-09-2022**

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 184/22 धारा 365 भादवि से संबंधित अपहृत युवक को सकुशल बरामद किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना सिघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 184/22 धारा 365 भादवि से संबंधित अपहृत युवक को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री विनोद कुमार।

2-का0- 44 संजीव कुमार।

प्रेस नोट

थाना बडौत   दिनाँक - 05.09.2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 811/22 धारा 506/507 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतुस बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.08.2022 को थाना बडौत पर वादी श्री प्रताप सिंह पुत्र बलकार सिंह निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत ने सूचना दी कि अभियुक्त विनित पुत्र हरवीर निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत ने अपने साथियों के साथ मिलकर छपरौली चुंगी चौराहे पर शराब की दुकान के सेल्समैन को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 811/22 धारा 506/507 भादवि पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 811/22 धारा 506/507 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतुस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-विनित पुत्र हरवीर निवासी ग्राम लोयन थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री गवेन्द्र पाल सिंह थाना बडौत।

2-है0का0 422 राजन सिहं थाना बडौत।

3-का0 513 विपिन कुमार।

प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर   दिनाँक 05.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा एक वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्त का नाम व पता-

1-नफीस पुत्र अनीस निवासी ग्राम तिलपनी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विनोद कुमार।
2. का0 442 प्रमोद कुमार।
3. का0 783 हिमांशु।